न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 74 / 2018

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन ईकाई दौसा कर्यालय गंगा बिहार कॉलोनी, रावत होटल के पीछे दौसा जिला दौसा,राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–श्रीमति शोभा शर्मा पत्नि मदन लाल । जाति ब्राहम्ण बाके ग्रांम चक नं. 01
2–कुमारी चेतना शर्मा पुत्री मदन लाल । भरतपुर जिला भरतपुर
3–सत्यदीप शर्मा पुत्र मदनलाल ।
4–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,विरुद्ध अवार्ड आदेश क्रंमाक भू0अ0 / 18 / 510 दिनांक 07.06.2018

उपस्थितः–
1–श्री दीपकशर्मा, अभिभाषक प्रार्थी0,
2–श्री अनिल कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी न.1,2,3

निर्णय **दिनांक 19.03.2025**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1581,1582,1583 बाके ग्रांम चक न. 01 भरतपुर में से 80 वर्ग मीटर भूमि फोरलेन के वास्ते अवाप्त की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा 80 वर्ग मीटर में से 80 वर्ग मीटर का व्यावसायिक दर पर मुआवजा राशि का अनुतोष चाहने बावत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पूर्व में 80 वर्ग मीटर भूमि का चाही भूमि की दर के

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आधार पर मुआवजे का अवार्ड भूमि अवाप्ती अधिकारी द्वारा बनाया गया था जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष मुआवजे के पुनः निर्धारा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.2.2018 को यह आदेश दिया कि "भूमि अवाप्ती अधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अवाप्त की गईआराजी खसरा नम्बर 1581/0.006,1582/.001,1583/0.001 बाके चक नं. 1कस्वा भरतपुर का मुआवजा तत्समय प्रचलित सारस होटल के पास वाणिज्य(डी.एल.सी.) दर 1980/– से निर्धारित किया जाकर तथा उस पर नियमानुसार देय परिलाभ जोड़े कर, उस पर मय 9 प्रतिशत ब्याज की गणना कर मुआवजा राशि का प्रार्थी मृतक मदनलाल के वारिसान को नियमानुसार भुगतान किया जावे।" भूमि अवाप्ती अधिकारी ने स्वयं के स्पीकिंग आर्डर के विरुद्ध जाकर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार कर मनमर्जी से अवाप्त भूमि के लिये 1980/– रुपये प्रति वर्ग फुट अभिनिधारित कर मुआवजे राशि का अवार्ड बनाया गया है जो कि विधि की मंशा एव प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो संशोधित भुगतान पर अवार्ड पारित किया है उससे यह स्पष्ट है कि अवाप्त भूमि की दर प्रतिवर्ग फुट 1980/– रुपये मानकर अवार्ड आदेश मनमर्जी से पारित किया है। भूमि अवाप्ती अधकारी को अवाप्त भूमि के सबंध में पारित मध्यस्थ महोदय के अवार्ड आदेश की पालना में अवार्ड निर्धारत करने से पूर्व प्राधिकरण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना चाहिये थां परन्तु भूमि अवाप्ती अधकारी ने श्रीमान के आदेश दिनांक 15.2.2018 की गलत तरीके से निवेचन करते हुये मनमर्जी से 1980/– रुपये प्रतिवर्ग फुट मानते हुये अवार्ड पारित कर दिया जो कि स्पष्टतया विधि का उलंघन है ऐसी स्थिति में पारित निर्णय निरस्तनीय है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवार्ड आदेश दिनांक 7.6.2018 को निरस्त फरमाया जाकर वास्तविक डीएलसी दर/बाजार दर के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1,2 व 3 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी न.4 भूमि अवाप्ती अधिकारी एस.डी.एम. भरतपुर से जबाब पत्रक्रमांक/राजस्व/भू.अवा.

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

/2025/1394 दिनांक 03.01.25 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी ने जो अवार्ड जारी किया है कि वह तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. की दर से नहीं कर मनमर्जी के हिसाब से दर तय कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजा तय करते समय प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। भूमि अवाप्ती अधिकारी ने स्वयं के स्पीकिंग आर्डर के विरुद्ध जाकर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार कर मनमर्जी से अवाप्त भूमि के लिये 1980/– रुपये प्रति वर्ग फुट अभिनिधारित कर मुआवजे राशि का अवार्ड बनाया गया है जो कि विधि की मंशा एव प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो संशोधित भुगतान पर अवार्ड पारित किया है उससे यह स्पष्ट है कि अवाप्त भूमि की दर प्रतिवर्ग फुट 1980/– रुपये मानकर अवार्ड आदेश मनमर्जी से पारित किया है। भूमि अवाप्ती अधिकारी को अवाप्त भूमि के सबंध में पारित मध्यस्थ महोदय के अवार्ड आदेश की पालना में अवार्ड निर्धारत करने से पूर्व प्राधिकरण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना चाहिये थां परन्तु भूमि अवाप्ती अधिकारी ने श्रीमान के आदेश दिनांक 15.2.2018 की गलत तरीके से निवेचन करते हुये मनमर्जी से 1980/– रुपये प्रतिवर्ग फुट मानते हुये अवार्ड पारित कर दिया जो कि स्पष्टतया विधि का उलंघन है ऐसी स्थिति में पारित निर्णय निरस्तनीय है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी प्राधिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में संख्या 28/2008 पेश किया था जिस पर सुनवाई करते हुए दिनांक 15.2.2018 को श्रीमान द्वारा आदेश पारित किया गया तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.एम. भरतपुर को निर्देशित किया कि वह अवाप्त की गई आराजी खसरा नमबर 181/0.006, 1582/0.001 व 1583/0.001 का मुआवजा तत्समय प्रचिलित सारस होटल के पास वाणिज्यिक (डी.एल.सी.) दर 1980/– रुपये प्रति वर्गफुट से निर्धारित किया जाकर तथा उस पर नियमानुसार देय परिलाभ जोडकर उस पर मय 9 प्रतिशत ब्याज की गणना कर मुआवजा राशि का प्रार्थी मृतक मदन

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

लाल के वारिसान का नियमानुसार भुगतान किया जावे। योग्य अभिभाषक का कहना है कि सक्षम अधिकारी एस.डी.एम. ने श्रीमान की आज्ञा का पालना करते हुये पुनः संशोधित अवार्ड तैयार किया गया है जिसमें एस.डी.एम. ने कोई गलती नहीं की है। सक्षम अधिकारी (एस.डी.एम.) ने संशोधित अवार्ड को निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग को अप्रूवल को भेजा गया है जिस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी अनुमति पत्र एस.डी.एम. सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी आपत्ति के मुआवजा राशि जारी की है। प्रार्थी की आपत्ति निराधार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षक के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्य रुप से यह एतराज किया गया है कि सक्षम अधिकारी (एस.डी.एम.)ने पुनः अवार्ड निर्धारण करते समय कोई नोटिस नहीं दिया है और डी.एल.सी दर से अधिक दर में अवार्ड निर्धारण किया है। एस.डी.एम. भरतपुर के जवाब पत्र क्रमांक /भू.अवा / 2026 / 1394 दिनांक 3.1.25 के अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध परियोजना निदेशक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पकाई–दौसा पत्रक्रमांक / 23012 / 20 / पकाई / दौसा / कोर्ट केस / 3305 दिनांक 16.1.2020 जो कि सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लिखा गया है जिसमें संशोधित अवार्ड राशि स्वीकृति प्रदान किये जाने उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संशोधित अवार्ड जारी कर परियोजना निदेशक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पकाई–दौसा को अवगत कराया गया है, जिस पर अवार्ड राशि स्वीकृति करने से पूर्व उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। सक्षम अधिकारी एस.डी.एम. द्वारा संशोधित अवार्ड के बारे में प्रार्थी में अपने पत्र से अवगत कराया है इसलिए नोटिस जारी करने की कोई जरुरत नहीं रहती है। सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी ने आदेश की पालना में संशोधित अवार्ड पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी नेशनल हाईवे एक्ट धारा 3 जी (5), प्रार्थीयान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.3.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर